पत्रांक— 11 न0वि0 अभि0(को0) 394 / 2017 1255 न0वि0 एवं आ0वि0

बिहार सरकार

नगर विकास एवं आवास विभाग

प्रेषक,

अधीक्षण अभियंता,
बिहार शहरी विकास अभिकरण,
नगर विकास एवं आवास विभाग
बिहार, पटना।

सेवा में,

नगर आयुक्त,
नगर निगम, बेगूसराय।

कार्यपालक अभियंता,
जिला शहरी विकास अभिकरण,
बेगूसराय।

पटना, दिनांक—03/10/18

विषयः— ई—टेंडरिंग पद्धति द्वारा निविदा आमंत्रण सूचना सं0—08 / 2017—18 के ग्रुप सं0—54 के कार्य नगर निगम, बेगूसराय अन्तर्गत वार्ड सं0—35 में (I) प्रशांत पंडित एवं धर्मदेव पंडित के घर होते हुए किशोरी पंडित के घर के पास मुख्य नाला एवं मुख्य सड़क तक नाला एवं पी0सी0सी0 निर्माण कार्य। (2) नगर निगम बेगूसराय अन्तर्गत वार्ड नं0—35 सहदेव राम के घर से शम्भू राम के घर होते हुए मुख्य नाला एवं मुख्य सड़क तक नाला एवं पी0सी0सी0 सड़क निर्माण कार्य के निविदा के संबंध में।

प्रसंगः— कार्यपालक अभियंता, डुडा, बेगूसराय का पत्रांक—45 दिनांक—20.01.2018

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र द्वारा विषयांकित कार्य की निविदा की तुलनात्मक विवरणी एवं भाग लेने वाले एकल निविदाकार श्री शत्रुघ्न कुमार के डाउनलोडेड निविदा कागजात निविदा निष्पादन हेतु समर्पित किया गया है।

समीक्षोपरान्त एकल निविदाकार श्री शत्रुघ्न कुमार की निविदा, निविदा आमंत्रण सूचना के कंडिकाओं का पालन करने के कारण मान्य है।

कार्यपालक अभियंता, डूडा, बेगूसराय द्वारा विषयांकित कार्य हेतु पूर्व आमंत्रित निविदा में भी एकल निविदा प्राप्त होने तथा पूर्व निविदा में एकल निविदाकार के मान्य रहने का प्रतिवेदन प्राप्त है।

तद्नुसार पथ निर्माण विभाग की अधिसूचना सं0—3162(S) दिनांक—09.05.2016 के आलोक में वर्त्तमान निविदा में एकल एवं मान्य निविदाकार **श्री शत्रुघ्न कुमार** को उक्त कार्य उनके द्वारा उद्धृत दर परिमाण विपत्र की राशि **13,04,375 /—(तेरह लाख चार हजार तीन सौ पचहत्तर)** रूपये मात्र से **10%** कम दर अर्थात कुल राशि **11,73,937 /—(ग्यारह लाख तेहत्तर हजार नौ सौ सैंतीस)** रूपये मात्र पर आवंटित किया जाता है।

निविदा की वैधता अवधि दिनांक—03.04.2018 को समाप्त हो गयी है। अतः निदेश दिया जाता है कि **एकरारनामा के पूर्व निविदाकार से निविदा की वैधता अवधि विस्तार पर सहमति के उपरान्त ही एवं सभी कागजातों का सत्यापन कर एवं असाधारण उद्धृत दर के लिए यथोचित Additional Performance Guarantee लेकर एकरारनामा करेंगे। यदि सफल निविदाकार निविदा की वैधता अवधि विस्तार पर सहमति प्रदान नहीं करते है, तो एकरारनामा नहीं किया जायेगा।**

एकरारनामा के पूर्व उक्त कार्य के परिमाण विपत्र में अंकित दरों से संतुष्ट होने के उपरान्त ही एकरारनामा करेंगे, क्योंकि परिमाण विपत्र का अनुमोदन कार्यपालक अभियंता, डुडा, बेगूसराय के स्तर से हुआ है।

निम्न निदेशो को पालन करते हुए एकरारनामा करेंगे।

1. कार्य समाप्ति की अवधि **03 (तीन)** माह होगी।
2. कार्य पर होने वाले व्यय को वित्तीय एवं तकनीकी अनुमोदन के अधीन सीमित रखा जाय।

3. एकरारनामा हेतु पूर्ण रूपेण जाँचोपरान्त परिमाण विपत्र के अवयवों को शुद्ध एवं वैध स्वरूप प्रयुक्त किया जाय।
4. कार्य का एकरारनामा 07 (सात) दिनों के अन्दर सम्पन्न कराकर कार्य प्रारम्भ कराया जाय।
5. अगर निविदा में अंकगणितीय गणना में कोई त्रुटि रह गई तो इसकी सूचना निश्चित रूप से दिया जाय एवं निविदा का कार्यान्वयन तब तक नहीं किया जाय जब तक कि इस स्तर से समुचित निदेश प्राप्त नहीं हो जाय।
6. कार्य का सम्पादन तकनीकी स्वीकृति में दिये गये टीका–टिप्पणी के अनुरूप विशिष्टियों के अनुसार ही कराया जाय।
7. कार्य को निर्धारित समय–सीमा के अन्तर्गत सम्पादित कराना सुनिश्चित कराया जाय। परिमाण विपत्र में अंकित मात्राओं को कार्यस्थल पर पुस्तिका में अंकित कर दिया जाय एवं तद्नुसार ही कार्य कराए जाय। इसके लिए संवेदक से कार्य योजना प्राप्त कर उसकी एक प्रति इस कार्यालय को उपलबध करायी जाय।
8. कार्य आरम्भ करने के पूर्व प्री लेवेल अवश्य करा लेगें, ताकि कार्य पूर्ण होने पर कृत कार्य की मात्रा कि गणना सही ढ़ग से की जा सके।
9. प्रारम्भ बिन्दु से निकासी बिन्दु तक नाला का Slope निर्धारित करते हुए निर्माण करायेंगे ताकि जल निकासी सुगमतापूर्वक हो सके।
10. विभिन्न कार्य में लगने वाले लौह छड़ (Reinforcement), Tata/SAIL/RINL Make का होना चाहिए।
11. कार्य के दौरान व्यवहार में आनेवाले सामग्रियों यथा ईट, बालू, चिप्स, मेटल आदि की गुणवत्ता की जाँच व्यवहार में लाने के पूर्व करा लेंगे।
12. PCC/RCC कार्य की योजना में कार्य के दौरान Cube का Mould cast के बाद Crushing strength का Test अवश्य करा लेंगे।
13. पथ के फ्लैक का निर्माण पथ के Crust के बाद Camber में निर्मित करेंगे ताकि जल का जमाव पथ पर नहीं हो तथा फ्लैक एवं पथ क्रस्ट के बीच किसी प्रकार का ठोकर नहीं हो।
14. कार्य स्थल के आरंभिक एवं अंतिम बिन्दु पर योजना संबंधी सूचना पट्ट लगाना आवश्यक हो, जो लोहे के Angle पर PCC से जाम हो।
15. माननीय उच्च न्यायालय, पटना के द्वारा CWJC सं0-14831/2009 में पारित आदेश के आलोक में निविदित पथ का स्तर (level) सटे मकानों के पीलींथ से नीचे रखना सुनिश्चित करेगें।
16. आप से प्राप्त तुलनात्मक विवरणी अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु लौटाई जाती है।

कृपया पत्र प्राप्ति की सूचना दी जाय।

<u>अनु0:–</u> तुलनात्मक विवरणी एवं सभी
निविदा अभिलेख मूल में।

विश्वासभाजन
3/10/18
अधीक्षण अभियंता,
बिहार शहरी विकास अभिकरण
नगर विकास एवं आवास विभाग
बिहार, पटना।

E:\W K File 2014\Begusarai\Begusarai C.S.docx